

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना गुरुवार, दिनांक 12 मई 2016, मुंबई

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
THURSDAY, MAY 12, 2016, MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

विषय-सूची / CONTENTS

विषय सूची	पृष्ठ सं.
CONTENTS	PAGE NO
सूचना	
Notice	1
नोट	
Notes	5
व्याख्यात्मक विवरण	
Explanatory Statement	13
प्रॉक्सी फॉर्म	
Proxy Form	19
उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पास	
Attendance Slip-cum-Entry Pass	23



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक गुरूवार, दिनांक 12 मई, 2016 को प्रात: 11.00 बजे चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 पर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले पर निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी:

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

''प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''योजना'' कहा जाएगा) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियम" कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमितयों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उक्त अनुमितयां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमित व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम),सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमित है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात ''बोर्ड'' कहा जाएगा) जिसमें पूंजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित किया गया है/ अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को एतद द्वारा, इस प्रस्ताव द्वारा कुल मिलाकर रु.535/- करोड.(रु. पांच सौ पैंतीस करोड मात्र)के प्रत्येक रू. 10/- अंकित मूल्य के 715,04,945 इक्विटी शेयर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति इक्विटी रु. 64.82 के प्रीमियम सिंहत भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को नगद में अधिमानी आधार पर प्रति इक्विटी शेयर रु. 74.82 के निर्गम मुल्य पर इक्विटी शेयर्स सृजित, प्रस्तावित निर्गमित एवं आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त हैं.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है किसंपरिवर्तन मूल्य के निर्धारण के लिए **"संगत तारीख"** 12-04-2016 है.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमित, अनुमित एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 12th May, 2016 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India(GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 715,04,945 Equity Shares of the face value of Rs.10/- each to President of India (Government of India) on preferential basis, for cash at an issue price of Rs. 74.82 per Equity Share including premium of Rs. 64.82 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs. 535/- crore (Rupees Five Hundred Thirty Five Crore only)."

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 12-04-2016. "

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Gol/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents,

संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर डीमेट स्वरुप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक लॉक-इन-अविध के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभांश, यदि कोई है, की घोषणा करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, किठनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमित, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेश से वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13-04-2016

(ए. के. दास) सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/ कंपनी सचिव permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance

of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the

Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in

force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby

authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary,

proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents

and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper

or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise

to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by

the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein

conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the

Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

For Central Bank of India

Place: Mumbai

Date: 13-04-2016

(A K DAS)

Assistant General Manager-MBD/

Company Secretary

4

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यसूची के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की नियम तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार, दिनांक 07 मई 2016 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार, दिनांक 07 मई 2016 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित कराकर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

मतदान का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक, उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बंध में मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रिजस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शांकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Saturday, 7th May, 2016.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or anybody corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Saturday, 7th May, 2016.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders/Authorised Representatives should state on the Attendance Slip-Cum-Entry pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

- 8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस की स्व प्रति अपने साथ लाएं.
- 9. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग
- I. कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 20 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के खंड 44 के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है तािक सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं. रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं:
 - (i) रिमोट ई- वोटिंग समयाविध सोमवार, दिनांक 09 मई 2016 को प्रात: 10:00 बजे से प्रारंभ होकर बुधवार, दिनांक 11 मई, 2016 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयाविध के दौरान शुक्रवार, दिनांक 06 मई, 2016 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
 - (ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें.
 - (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.
 - (iv) अब, अपना यूजर आईडी प्रविष्ट कीजिए
 - ए. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकीय बेनीफीशियरी आईडी.
 - बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकीय क्लाइंट आईडी के पश्चात 8 शब्दों का डीपी आईडी.
 - सी. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर्स हैं, बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नम्बर प्रविष्ट करें.
 - (v) अब प्रदर्शित हो रहे इमेज वेरीफिकेशन को प्रविष्ट कीजिए और लॉगिन पर क्लिक करें.
 - (vi) यदि आपके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं और आपने <u>www.evotingindia.com</u> को लॉग-ऑन किया था और आपने किसी कंपनी/संस्था में पहले मतदान के लिए मत डाला है तो आपके वर्तमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.
 - (vii) यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो निम्नानुसार बिन्दुओं को अपनाएं :

	डीमेट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी (डीमेट शेयरधारकों और भौतिक रूप से शेयर्स धारकों दोनों
	को लागू) आपका 10 अंकीय अल्फा-न्यूमरिक ङपैन प्रविष्ट करें. जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं
	किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उनके नाम के पहले दो शब्दों का उपयोग करें
	और पैन फील्ड में आठ अंकीय संख्या का क्रमानुसार उपयोग करें.
	• यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम है तो नाम के पहले दो शब्दों (केपिटल लेटर में)
	के बाद तथा नम्बरों के पूर्व समुचित संख्या में 0 प्रविष्ट करें, उदाहरणार्थ यदि क्रम
	संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में आरए0000001
	प्रविष्ट करें

- 8. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the Meeting.
- 9. Voting through electronic means
- In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under:

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, 9th May 2016 at 10.00 AM and ends on Wednesday, 11th May 2016 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 6th May 2016, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to <u>www.evotingindia.com</u> and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form					
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)					
	 Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. 					
	In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.					

डिविडेंड	लॉगिन करने के लिए आपके डीमेट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज डिविडेंड बैंक
वैंक विवरण	विवरण अथवा जन्म तिथि प्रविष्ट करें.
अथवा	यदि दोनों ही विवरण डिपॉजिटरी अथवा कंपनी में अभिलेखित नहीं है तो कृपया अनुदेश
जन्म तिथि	नंबर (iv) के अनुसार डिविडेंड बैंक विवरण की फील्ड में सदस्य का आई-डी / फोलियो
(डीओबी)	नंबर प्रविष्ट करें.

- (viii) इन विवरणों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के उपरांत, "सिबमट" टेब पर क्लिक करें.
- (ix) भौतिक रूप में शेयर्स के धारक अब सीधे बैंक सिलेक्शन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे. परंतु, डीमेट रूप में शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रियेशन" मेनू में पहुंच जाएंगे, जहां उनसे यह अनिवार्यत: अपेक्षित होगा कि वे अपना लॉगिन पासवर्ड, नई पासवर्ड फील्ड में प्रविष्ट करें. कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग, डीमेट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी/संस्था के प्रस्तावों के मतदान हेतु भी किया जाएगा, जिसके लिए वे मत देने हेतु पात्र हैं, वशर्ते कि कंपनी/संस्था के पास सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग के लिए विकल्प उपलब्ध है. इसकी दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि आप अपना पासवर्ड, किसी अन्य को न बताएं और अपने पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखें.
- (x) भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए इस नोटिस में निहित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में ही विवरण का उपयोग किया जा सकता है.
- (xi) जिसे वोट देना चाहें उस ष्कंपनी का नाम्न पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग के पृष्ठ पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा जिसके सामने वोटिंग का विकल्प हां/ नहीं दिया होगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं का चयन करें. विकल्प हां का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी सम्मित एवं विकल्प नहीं का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी असम्मित है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का पूर्ण विवरण देखना चाहें तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें.
- (xiv) संकल्प का चयन करने के पश्चात आपने उस पर वोट देने का निर्णय लिया है. सब्मिट पर क्लिक करें. एक पृष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पृष्टि करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें अन्यथा वोट परिवर्तित करने के लिए "केन्सिल" पर क्लिक कर अपना वोट तदनुसार संशोधित करें.
- (xv) संकल्प पर अपने वोट की एक बार "पुष्टि" कर देने पर आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं होगी.
- (xvi) वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिट" विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा की गई अपनी वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं:
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाए तब यूजर आई डी एंटर करें तथा इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर कर "फॉरगॉट पासवर्ड" पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा प्राप्त किए अनुसार विवरण भरें.

(xviii) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) एवं अभिरक्षकों को <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग ऑन कर अपने आपको को कॉपेरिट के रूप में पंजीकृत करना होगा.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मोहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल की जानी चाहिए.

Dividend	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded
Bank Details	in your demat account or in the Bank records in order to login.
OR	
Date of Birth	If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter
(DOB)	the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in
,	instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant < Company Name > on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Note for Non - Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u>.

- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडिमन लॉगिन एवं पासवर्ड के प्रयोग से एक कम्प्लाइंस यूजर निर्मित किया जाना चाहिए. कम्प्लाइंस यूजर खाता(तों) को लिंक करने सक्षम होगा, जिस पर वे वोट करना चाहते हैं.
- खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे अपना वोट कर सकते हैं.
- बोर्ड प्रस्तावों एवं मुख्तारनामा (पीओए), यदि कोई हो, जिन्हें उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन्ड प्रति सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए.
- (xix) ई- वोटिंग के संबंध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ करना चाहें तो आप https://www.evotingindia.co.in के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई- वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.
- II. शेयरधारकों के मतदान का अधिकार, दिनांक 06 मई, 2016 को बैंक की नियत तारीख को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात के अनुसार होगा. तथापि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक की स्थिति में उसके द्वारा धारित किन्ही भी शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- III. डिपॉजिटरियों द्वारा रखे जा रहे सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तारीख अर्थात दिनांक 06 मई 2016 को जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है सिर्फ वही व्यक्ति ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग/ मतदान के लिए पात्र होगा.
- IV. ऐसा कोई व्यक्ति जो बैठक का नोटिस प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है और कट ऑफ तारीख अर्थात 06 मई 2016 को शेयर धारित करता है, वह उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया स यूजर आई- डी और पास वर्ड प्राप्त कर सकता है.
- ${f V}_{f s}$ इस सूचना की एक प्रति सीडीएसएल की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
- VI. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाय लॉज़ के श्री अंकुर कुमार, अधिवक्ता एवं कॉर्पोरेट विधिक सलाहकार को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है
- VII. रिमोट ई-वोटिंग अविध की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर, मतपत्रक-निरीक्षक कम से कम दो (2) साक्षियों, जो बैंक के रोजगार में न हों, की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा एवं पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए वोटों, यदि कोई हो, की जांच - रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.
- VIII. बैंक के ईजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर, मतपत्रक-निरीक्षक की रिपोर्ट सिहत घोषित परिणाम, बैंक की वेबसाइट <u>www.centralbankofindia.co.in</u> एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे.

- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval
 of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued
 in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the
 scrutinizer to verify the same.
- (xix) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 6th May 2016. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 6th May, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at EGM.
- **IV.** Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 6th May, 2016, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the remote e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the EGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के निम्नलिखित विवरणों को प्रकट किया जाना है.

I. अधिमानी निर्गम का उद्देश्य:

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए, व्यावसायिक लक्ष्य तथा बासल III के अनुसार 7.625% की सीसीबी सहित टियर I सीआरएआर को पूरा करने के लिए लगभग रु. 1815 करोड़ की कुल अतिरिक्त टियर I (एटी I) पूंजी की आवश्यकता अनुमानित है. बासल III के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को सीआरएआर 10.90% था, जिसमें टियर I 8.05% (सीईटी I: 7.86%, एटी1: 0.19%) एवं टियर II 2.85% था जबिक दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को सीआरएआर 10.44% था जिसमें टियर I 7.63% (सीईटी1: 7.44%, एटी1: 0.19%) एवं टियर II 2.81% था. बासल II के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 को टियर I 8.46% के साथ सीआरएआर 11.89% एवं टियर II 3.43% जबिक दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को टियर I 8.34% एवं टियर II 3.29% के साथ सीआरएआर 11.63% था. चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था एवं दिनांक 31.03.2016 को जोखिम भारित आस्तियों में संभावित वृद्धि को देखते हुए, पूंजी निषेचन आवश्यक था. यद्यपि, यह कमी, अतिरिक्त टियर I (एटी1) श्रेणी के अंतर्गत है, जिसे इक्विटी शेयर्स एवं/अथवा बेमियादी ऋण लिखतों एवं बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-संचयी अधिमानी शेयर्स वाली टियर I पूंजी जुटाकर पूर्ण किया जा सकता था, परंतु दीर्घकालीन योजना के रूप में यह वांछनीय है कि कोर पूंजी अर्थात इक्विटी शेयर्स पर विचार किया जाए. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपेक्षित सीआरएआर के एक भाग की पूर्ति के लिए दिनांक 30 मार्च 2016 को आयोजित शेयर धारकों की अतिसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2016 को बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 165.57 करोड़ के की अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है.

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 28 मार्च 2016 के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमानी आबंटन के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रू. 535 करोड़ (रू. पांच सौ पैंतीस करोड़ मात्र) की पूंजी लगाने का निर्णय सूचित किया है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम / अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बैंक को दिनांक 30.03.2016 को भारत सरकार से रू. 535/- करोड़ की उपर्युक्त पूंजीगत निधि प्राप्त भी हो चुकी है जिसे "नाम बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाता" नाम से खोले गए नये खाते में रखा गया है. बैंक ने दिनांक 28 मार्च 2016 के पत्र के माध्यम से उपर्युक्त पूंजीगत निधि को दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को आबंटन हेतु लंबित इक्विटी शेयर्स के समक्ष इसे सामान्य ईक्विटी टियर 1(सीईटी 1) के भाग के रूप में मानने हेतु अनुमोदन मांगा है. जिस को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2016 के द्वारा स्वीकृति प्रधान की है.

भारत सरकार द्वारा इक्विटी का यह अंतर्प्रेषण बैंक को, बाद में जब कभी आवश्यकता होने पर अधिकार निर्गम/ एफपीओ / अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशक (क्यूआईपी) के माध्यम से सार्वजनिक/ वित्तीय संस्थानों से और अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु अतिरिक्त लीवरेज भी देगा जो सांविधिक प्राधिकारियों की आवश्यक स्वीकृति के अधीन होगा.

ईक्विटी के इस अधिमानी आबंटन के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी बैंक द्वारा किसी भी प्रकार से इसकी किसी भी सहायक, संयुक्त उद्यम इत्यादि में निवेश के लिए उपयोग नहीं की जाएगी.

II. निर्गम को अभिदान करने हेतु प्रवर्तकों/निदेशकों/ निर्गम के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्तावः

नीचे दिए गए खंड (V) में उल्लेख किए अनुसार प्रवर्तक , अर्थात भारत सरकार के अतिरिक्त , कोई भी निदेशक अथवा प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति इक्विटी शेयर्स में अभिदान करने का इच्छुक नहीं है.

EXPLANATORY STATEMENT

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. Objects of the Preferential Issue

Total Additional Tier 1 (AT1) capital required to meet business target and the Tier-I CRAR (including CCB) of 7.625% as per BASEL III were projected at around Rs. 1815.00 crore for the financial year 2015-16. As per BASEL III, CRAR as on 31st March 2015 was 10.90% with Tier I at 8.05% (CET1: 7.86%; AT1: 0.19%) and Tier II at 2.85% while as on 31st December 2015, CRAR was 10.44% with Tier I at 7.63% (CET1: 7.44%; AT1: 0.19%) and Tier II at 2.81%. As per BASEL II CRAR as on 31st March 2015 was 11.89% with Tier I at 8.46% and Tier II at 3.43% while as on 31st December 2015, CRAR was 11.63% with Tier I at 8.34% and Tier II at 3.29%. As the Bank had to meet its business target for financial year 2015-16 and with probable increase in Risk Weighted Assets as on 31.03.2016, capital infusion was necessary. Although shortfall was falling under the Additional Tier I (AT 1) category which could be bridged by raising either Equity Shares and/or Perpetual Debt Instruments and Perpetual Non-Cumulative Preference Shares having characteristics of Tier I capital as per BASEL III guidelines, it was desirable to consider core capital i.e. Equity shares only as a long term plan. Accordingly, in order to meet a part of the required CRAR for the financial year 2015-16, the Bank on 31st March 2016 had raised Rs. 165.57 crore equity share capital from Life Insurance Corporation of India on preferential basis subsequent to passing of the Special Resolution by shareholders at Extra-ordinary General Meeting held on 30th March, 2016.

Further, Government of India, Ministry of Finance vide letter dated 28th March 2016 conveyed its decision to infuse capital funds to the tune of Rs. 535.00 crore (Rupees Five Hundred and Thirty Five Crore) in Central Bank of India by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India and also advised the Bank to take all necessary steps/approvals in this regard. Bank also received said capital funds of Rs. 535/- crore from Government of India on 30.03.2016 and the same has been kept in the newly opened Bank Account namely,- "Central Bank of India Share Application Money Account". Bank vide its letter dated 28th March 2016 sought approval of Reserve Bank of India (RBI) to treat the said Capital funds as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) Capital for the financial year ended 31st March 2016 pending allotment of equity shares to Government of India which was granted by Reserve Bank of India (RBI) vide letter dated April 06, 2016.

This infusion of equity by Government of India would also give additional leverage to the Bank to raise further equity capital from the public/ financial institutions by way of Rights Issue / FPO/ Qualified Institutional Placement (QIP) at a later date as and when the need arises, subject to necessary approvals from statutory authorities, as may be required.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures, etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और उसके उपरांत शेयरधारिता ढांचा

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार पूर्व-	आबंटन पूर्व चुकता पूँजी	शेयरों की संख्या के अनुसार पश्च-आबंटन	पश्च आबंटित चुकता पूँजी
		आबंटन	का %		का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	135,08,27,438	79.94	142,23,32,383	80.76
	(भारत सरकार				
	(प्रवर्तक)				
2.	अन्य शेयरधारक	33,88,86,831	20.06	33,88,86,831	19.24
3.	कुल (1+2)	168,97,14,269	100.00	176,12,19,214	100.00

- IV. अधिमानी निर्गम पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा :शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिन के भीतर आबंटन पूर्ण किया जाएगा, बशर्ते किसी विनियामक प्राधिकारी से उक्त आबंटन का अनुमोदन लेने में लगा समय इसमें विस्तारित किया जाए, यदि कोई है.
- V. प्रस्तावित आबंटियों की पहचान तथा अधिमान निर्गम पश्चात उनके द्वारा रखी जाने वाली पूंजी का अनुपात तथा अधिमानी निर्गम के उपरांत निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो.

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार पूर्व- आबंटन	आबंटन पूर्व चुकता पूँजी का	अधिमानता आधार पर आबंटित किये जाने वाले	शेयरों की संख्या के अनुसार पश्च- आबंटन	पश्च आबंटित चुकता पूँजी का	पश्च- आबंटन वृद्धिगत %
		%	इक्विटी शेयरों की संख्या		%	
भारत के राष्ट्रपति	135,08,27,438	79.94	7,15,04,945	142,23,32,383	80.76	0.82
(भारत सरकार) (प्रवर्तक)						

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) का बैंक पर नियंत्रण जारी रहेगा और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

VI. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का मूल्य निर्धारण :

निर्गम एवं संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार किया गया है.

परिणामी इक्विटी शेयरों का निर्गमित मूल्य निर्धारित करने की "संगत तारीख" दिनांक 12 अप्रैल 2016 है, जो सदस्यों के आवश्यक बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तिथि अर्थात दिनांक 12 मई 2016 से 30 दिन पूर्व की तारीख है.

बैंक यह वचन देता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह इन विनियमनों के प्रावधानों के विर्निदिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुन: गणना करेगा.

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुन: निर्धारण के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो इक्विटी शेयर उस समय तक लॉक-इन रहेंगे, जब तक आबंटियों द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre- allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post- allotment Paid Up Capital
1.	President of India (Government of India), Promoter	135,08,27,438		142,23,32,383	80.76
2.	Other Shareholders	33,88,86,831	20.06	33,88,86,831	19.24
3.	Total (1+2)	168,97,14,269	100.00	176,12,19,214	100.00

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority, if any.

V. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre- allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
President	135,08,27,438	79.94	7,15,04,945	142,23,32,383	80.76	0.82
of India						
(Government						
of India),						
Promoter						

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India (Government of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The "relevant date" for determining the Issue Price of the resultant equity shares is 12th April, 2016, which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 12th May 2016.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked - in till the time such amount is paid by the allottee.

VII. सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र :

प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार के लिए शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमनों में अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किया जा रहा है. उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए दिनांक 12 मई, 2016 को आयोजित की जाने वाली असाधारण सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी.

VIII. लॉक-इन अवधि :

भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर्स बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयर्स के समान श्रेणी में रहेंगे. अब तारीख तक अद्यतन सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2009 के विनियम 78(1) के अनुसार ये आबंटन की तारीख से ट्रेडिंग अनुमोदन किए जाने की तारीख तक तीन वर्ष की अविध में लॉक-इन रहेंगे.

बैंक के इक्विटी शेयर्स छ: माह से भी पहले से सूचीबद्ध किए गए हैं एवं तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं.

भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) द्वारा धारित सभी शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं और उन स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीकरण अनुबंध के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है.

भारत सरकार की संपूर्ण अधिमानी आबंटन पूर्व शेयरधारिता संगत तारीख से प्रारंभ अविध से स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ट्रेडिंग हेतु दिए गए अनुमोदन की तारीख से 6 माह की अविध तक लॉक-इन रहेगी लेकित इनमें भारत सरकार को अधिमानी आधार पर दिनांक 11 दिसम्बर 2013 को आबंटित 30,58,62,361 ईक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 वर्ष अर्थात 26 दिसम्बर 2016 तक की अविध के लिए एवं भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 24 मार्च 2015 को आबंटित 15,38,68,113 ईक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 वर्ष अर्थात 15 अप्रैल 2018 तक लॉक - इन के अधीन हो, इनमें शामिल नहीं है.

- IX. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 का विनियम 41, अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि जब भी अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी बढ़ाना प्रस्तावित हो तब भी ऐसे शेयर्स की पेशकश सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु की जाएगी, बशर्ते शेयरधारक सामान्य बैठक में किसी विशेष संकल्प के माध्यम से अन्यथा निर्णय न लेते हों. चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारक को समानुपात आधार के इतर अन्य विधि द्वारा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर का आबंटन प्रस्तावित है अत: उपर्युक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है. साथ ही, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 के तहत भी ऐसा करना आवश्यक है.
- XI. आपके निदेशकगण नोटिस में उल्लिखित विशेष संक्ल्प को आपके अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं.
- XII. बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रबंधन का मुख्य व्यक्ति बैंक में अपनी वैयक्तिक हैसियत अथवा भारत सरकार के नामिति के तौर पर अपनी शेयरधारिता की सीमा के सिवाय इस सूचना के संकल्प में सरोकार अथवा हित नहीं रखता है.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13-04-2016

(ए. के. दास) सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/ कंपनी सचिव

VII Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 12th May, 2016.

VIII Lock-in period:

The equity shares proposed to be issued and allotted on preferential basis to President of India (Government of India) shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank. The same shall be locked-in from the date of allotment till a period of three years from the date of trading approval granted for, as per regulation 78(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended till date.

The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

All the shares held by President of India (Government of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

The entire pre-preferential allotment shareholding of Government of India shall be locked-in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges except 30,58,62,361 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 11th December 2013 which are subject to lock in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 26th December 2016 and 15,38,68,113 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 24th March 2015 which are subject to lock in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 15th April 2018.

- IX. Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share by the method other than pro rata to the existing shareholder of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, 2009.
- X. Your Directors recommend the special resolution as set out in the notice, for your approval.
- XI. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank is concerned with or interested in the resolution of the notice except to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India..

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

For Central Bank of India

Place: Mumbai

Date: 13-04-2016

(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म "बी "

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो सं. या डीपी	आईडी/ग्राहक आईडी			
धारित शेयरों की संख	या			
मैं/हम				
राज्य		, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंन्	डेया के/की शे	यरधारक की हैसियत सं
				को अथवा उसकी अनुपस्थिति मे
श्री/सुश्री				
				, को गुरुवार, दिनांव
	•	` •		5 के प्रधान कार्यालय के 9 ^{दे}
माले सेन्ट्रल बैंक ऑफ	इंडिया के शेयरधारकों व	क्री आयोजित होने वाली अ _र	साधारण सामान्य	बैठक में मेरे/हमारे लिए औ
मेरी/हमारी ओर से मत दे	ने के लिए नियुक्त करता/	करती हूं/करते हैं.		
2	_		` ` `	
तारखि	माह व	ार्ष 2016 को यह हस्ताक्षरि	रत किया गया.	कृपया रेवेन्यू
				भृतया रयन्यू स्टैम्प
				चिपकाएं
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर			प्रथम/एकल इ	ोयरधारक के हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में)				
पता				
 -				



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

Folio No. or DP Id / Clie	nt-ld			
No. of Shares held				
I/We,	resider	nt/s of	in the	e district of
	in the State of			
Central Bank of India herek	oy appoint Shri/Smt			_resident o
			in the district of	
in the State of	or failing him/he	r, Shri/Smt	resident o	of
	in the district of		in the State of	
as my/our proxy to vote	for me/us and on my/o	ur behalf at the E	EXTRA-ORDINARY GENERAL N	/IEETING o
the shareholders of CEN	TRAL BANK OF INDIA to	be held on Thur	sday, 12th May, 2016 at 11.00	AM on 9th
Floor at the head office of	of the Bank situated at Cl	handermukhi, Na	riman Point, Mumbai- 400 021	and at any
adjournment thereof.				
Signed this	day of	2016.	Please affix revenue Stamp	
Signature of the Proxy		Signat	ure of the first named/ sole Sha	ıreholder
(in Block L	.etters)			
Address				

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- 1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉपोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- 2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रिजस्ट्रार या सब-रिजस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शिनवार, दिनांक 07 मई 2016 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
- 4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
- 5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
- 6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
- 7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
- 8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
- 9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फार्म बी" में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder who is for any reason, unable to
 write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate,
 Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central
 Bank of India.
- 3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Saturday, 7th May 2016, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
- 4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- 8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
- 9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक - गुरूवार, दिनांक 12 मई, 2016

आईडी/ शेयरों की संख्या			
सदस्य का नाम एवं पता (स	पष्ट अक्षरों में)		
संयुक्त धारक			
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रवि	तेनिधि का नाम		
(स्पष्ट अक्षरों में) (यदि को	ई हो)		
		सदस्य/प्रॉक्सी	/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
दिन और दिनांक	गुरूवार, दिनांक 12	ई, 2016	
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इं	ह्या, प्रधान कार्यालय, 9वां म	गला, चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट
	मुम्बई - 400 021		•
		_,	
		प्रवेश पत्र	
	(बैठक के दौ	ान पूरे समय अपने पास रखें)	
पंजीकृत फोलियो/डीपी	आईडी एवं ग्राहक आई	डी/	
शेयर्स की संख्या			
सदस्य का नाम			
शेयर्स की संख्या			
		'	
उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/उ	उपस्थित प्राधिकृत	-	बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर
प्रतिनिधि का नाम एवं हस	ताक्षर		•
शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारक	ों/प्राधिकत प्रतिनिधियों	ो अनरोध है कि वे मीटिंग हाल मे	i प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति

भावरधारका/प्राक्सा धारका/प्राधिकृत प्रातानाध्या से अनुराध है कि व माटिंग होले में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थित सह-प्रवेश पत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पत्र का हिस्सा शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/ जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-

23

पंजीकृत पन्ना/डीपी आईडी एवं ग्राहक



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

ATTENDANCE SLIP

Extra-ordinary General Meeting - Thursday, 12th May, 2016

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares		
Name and address of the Member (In		
Block Letters)		
Joint Holders		
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)		
Fresent III bloc	k Letters (II arry)	
		Signature of the Member/Proxy/
		Representative Present
Day and Date	Thursday, 12 th May, 2016	
Place Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021		Office, 9th Floor, Chandermukhi,
		021
		Entry Pass
	(To be ret	ed throughout the meeting)
Regd. Folio/DP	PID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member		
No. of Shares		
Name and signature of attending Member/		Bank Stamp and Signature
Proxy/Authorised Representative Present		
		esentatives are requested to produce this Attendance-slip-

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(इकाई - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड एल.बी.एस.मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुंबई, 400078

फोन : (022) 2594 6970

फैक्स : (022) 2594 6969

ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Share Transfer Agent:

Link Intime India Private Limited

(Unit-CENTRAL BANK OF INDIA)
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg,
Bhandup (West)
Mumbai, 400078

Phone: (022) 2594 6970 Fax: (022) 2594 6969

E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.फोनः 022 - 6638 7818

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022-6638 7818